गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.08.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.08.2023 को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
4.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
5.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
6.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
8.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
9.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
10.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
11.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
13.	डॉ0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
14.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
15.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 पी.के. बाजपेयी
2. डॉ0 एस. श्वेता

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा कुलपति महोदय ने प्रेरणादायी उद्बोधन प्रदान किया तथा आगामी समय में नैक प्रत्यायन एवं दशम् दीक्षांत समारोह की तैयारियों हेतु सुझाव प्रदान किये। साथ ही जीवन में सफलता हेतु सुनियोजित तैयारी के महत्व पर बल दिया। तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद एवं विद्यापरिषद की स्थायी समिति के बैठकों की क्रम संख्या का भी उल्लेख किया जाय। क्रम का निर्धारण केन्द्रीय विश्वविद्यालय उन्नयन के पश्चात् आयोजित बैठक से किया जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

16/08/2023

16/08/23

विषय क्र. 03. **अध्ययन मण्डल सिविल इंजीनियरिंग विभाग की बैठक दिनांक 28.06.2023 द्वारा पीएच.डी., एम.टेक. एवं बी.टेक. चतुर्थ वर्ष के ओपन इलेक्टिव पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल सिविल इंजीनियरिंग विभाग की बैठक दिनांक 28.06.2023 द्वारा पीएच.डी., एम.टेक. एवं बी.टेक. चतुर्थ वर्ष के ओपन इलेक्टिव पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 04. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED (SECL) के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED (SECL) के बीच समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 05. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और METALWORKING AND TRANSPORT TECHNOLOGY CENTER FOUNDATION (CETEMET) के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और METALWORKING AND TRANSPORT TECHNOLOGY CENTER FOUNDATION (CETEMET) के बीच समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार

अ.अ.वि.क्र.1 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के अधिष्ठाता के माध्यम से उक्त विद्यापीठ में सत्र 2023–24 से बी.टेक एवं एम.टेक कार्यक्रमों में मान्यता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत वर्किंग प्रोफेसनल्स हेतु, ए.आई.सी.टी.ई. के नियमों के अंतर्गत ऑनलाईन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने एवं बी.टेक कार्यक्रम में अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत, पार्श्व प्रवेश प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

स्थायी समिति ने प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का सैद्धांतिक अनुमोदन किया जाय एवं इस संबंध में ए.आई.सी.टी.ई. को सूचित किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.2 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के अधिष्ठाता के माध्यम से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि बी.टेक कार्यक्रम में नव–प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम (सूचनात्मक कार्यक्रम) का आयोजन ऑन लाईन कराया जाय तथा उक्त कार्यक्रम के पूर्ण हो जाने के उपरान्त ऑफ लाईन कक्षायें आयोजित की जाय।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं इंडक्शन कार्यक्रम ऑन लाईन संचालित कर लिया जाय।

अ.अ.वि.क्र.3 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के अधिष्ठाता के माध्यम से बी.टेक कार्यक्रम में प्रवेश हेतु स्थानीय काउंसलिंग कराये जाने तथा उक्त प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने वाले आवेदकों के अर्हता निर्धारण संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावानुसार अर्हता में सदस्यों के सुझावों अनुसार संशोधन कर लिया जाय एवं स्थानीय काउंसिलिंग का आयोजन यथाशीघ्र करा लिया जाय।

16/08/2023 16/8/23

अ.अ.वि.क्र.4 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के द्वारा बी.टेक कार्यक्रम को संचालित किये जाने संबंधी अध्यादेश क्रमांक–12 में संशोधन प्रस्तावित किये गये।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्यादेश क्रमांक–12 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि बी.टेक कार्यक्रम में अध्ययनरत् विद्यार्थी यदि किसी परीक्षा में एटीकेटी अथवा अनुत्तीर्ण/डिटेन्ड हो जाते हैं ऐसी स्थिति में भी छात्र/छात्राओं को आगामी उच्च सेमेस्टर में प्रवेश लेने की पात्रता होगी, पूर्व में उपस्थिति एवं प्रवेश से संबंधित नियम एन.ई.पी. 2020 के अनुरूप होगें।

छात्रावास में प्रवेश लेते समय ऐसे विद्यार्थियों को उक्त परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु प्राप्त होने वाले प्रथम प्रयास तक छात्रावास में रहने की अनुमति होगी। यदि ऐसे विद्यार्थी प्रथम प्रयास में उक्त परीक्षा या पेपर में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन्हें छात्रावास छोड़ना होगा और यदि उत्तीर्ण हो जाते है तो वह छात्रावास में आगे भी पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक निवास कर सकते है।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि पूर्व में प्रसारित प्रावधानों में उपरोक्तानुसार छात्रावास निवास संबंधी प्रावधान विश्वविद्यायल के अन्य पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों पर भी लागू किया जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि उपरोक्त के साथ–साथ ऐसे प्रकरणों पर परिस्थितियों के आधार पर यथोचित निर्णय लेने हेतु सक्षम अधिकारी अधिकृत रहेंगे।

अ.अ.वि.क्र.5 परीक्षा एवं गोपनीय शाखा के द्वारा दिनांक 10.08.2023 को विश्वविद्यालय के विभागों के विभागाध्यक्ष, अध्ययनशालाओं के अधिष्ठातागण, निदेशक आई.क्यू.ए.सी., समन्वयक सी.बी.सी.एस. इत्यादी की बैठक आहूत की गई थी। उक्त बैठक में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अतिरिक्त क्रेडिट कोर्स, वेल्यू एडेड कोर्स, एनसीसी, एनएसएस आदि के लिए अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किये जाने संबंधी विषय पर चर्चा की गई एवं विभिन्न निर्णय लिये गये। बैठक का कार्यवृत्त विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्तावों एवं कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.6 अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 14.08.2023 में सी.यू.ई.टी. यूजी 2023 प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लिया गया कि दिनांक 23.08.2023 को विशेष ऑफ लाईन काउंसिलिंग आयोजित किया जाय और इस हेतु दिशा–निर्देश भी प्रारूपित किये गये। प्रारूपित दिशा–निर्देश विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

स्थायी समिति ने प्रारूपित दिशा–निर्देशों में यह संशोधन सुझाया कि ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में पंजीयन नहीं कराया है एवं ऑफलाईन काउंसिलिंग में भागीदारी हेतु इच्छुक हैं, उनसे पंजीयन शुल्क लिये जाने के निर्देश भी शामिल किये जाय तथा दिनांक 21.08.2023 को आयोजित सुपरन्युमेररी प्रवेश कर्मचारियों के पुत्र–पुत्रियों के लिए नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाय।

उक्त के साथ विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने शेष प्रस्तावित दिशा–निर्देशों का अनुमोदन किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

16/8/23 — 16/08/2023

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव — **कुलपति/अध्यक्ष**